<u>उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।</u>

परिपत्र सं0 सी–57/तक0प्र0/17–18　　　　　दिनॉकः 17.10.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

<u>विषयः नाबार्ड द्वारा संचालित अनुदानित डेयरी उद्यमिता विकास योजना व EDEG घटक के सम्बन्ध में।</u>

प्रधान कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–सी–32/त0प्र0/17–18 दिनॉक 06.07.17 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना की (DEDS) वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बिन्दुवार निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में DEDS एवं EDEG घटक हेतु निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित करने तथा औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए ऋण वितरण के एक माह के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करने के निर्देश प्रेषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या–16/तक0प्र0/2017–18 दिनॉक 01.05.17 द्वारा उपरोक्त अनुदानित योजनाओं तथा ऐसी शासकीय योजनाओं जिनमें अनुदान प्राप्त हो रहा है, की सदुपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है परन्तु अद्यतन किसी भी शाखा से उपरोक्त से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्रधान कार्यालय को नहीं प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त वॉछित सूचनायें अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि यदि किसी किसान का अनुदान सदुपयोगिता प्रमाणपत्र के अभाव में नाबार्ड द्वारा अनुदान वापस मॉगा जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा।

ह0/
(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि-निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-</u>

(1) समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी-2,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(2) उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई-मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

ह0/
(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)